श्री गोपाल मीणा, भा0 प्र0 से0, जिला पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में आयोजित मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षात्मक बैठक दिनांक 06–12–2013 की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार ।

1. सर्व प्रथम जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों /कर्मियों का स्वागत किया गया। उसके उपरान्त यह बताया गया कि संभवतः 15 दिनों के अन्दर किसी भी प्रखंड का मध्याह्न भोजन योजना का औचक निरीक्षण हेतु सभी जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों /वरीय उप समाहर्त्ता /शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों तथा प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को **SMS** के माध्यम से निदेश प्रेषित किया जायेगा जिसके अनुरूप समस्त विद्यालयों की सघन जॉंच की जायेगी तथा उसी दिन विहित प्रपत्र में मध्याह्न भोजन वितरण संबंधी भौतिक जॉंच प्रतिवेदन जिला गोपनीय शाखा/ जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय में संध्या 7:00 (सात) बजे तक समर्पित करना अनिवार्य होगा।

   जॉंच प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में : (1) छात्र/छात्राओं का कुल नामांकन (संख्या) (2) कुल उपस्थिति (3) वास्तविक लाभांवित का उल्लेख अनिवार्यतः होना चाहिए। इसी के साथ सभी विद्यालयों में मुद्रित मीनू **(Printed Menu)** अवश्य प्रदर्शित किया जाय तथा मीनू के अनुरूप मध्याह्न भोजन का अक्षरशः पालन किया जाय।

   (अनुपालन : सभी संबंधित पदाधिकारी)

2. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा IVRS की समीक्षा क्रम में सभी प्रखंड के साधन सेवी से मध्याह्न भोजन बंद विद्यालयों की क्रमवार समीक्षा की गयी तथा खाद्यान्न अभाव के कारण राजकीय मध्य विद्यालय, वृन्दावन (मुरलीगंज) जिलाधिकारी, के द्वारा दिनांक 04.12.2013 को औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण में पायी गयी अनियमितता के कारण प्रखंड साधन सेवी मुरलीगंज के माह दिसम्बर 2013 के मानदेय की राशि से 20 प्रतिशत की कटौती करने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालन : जिला प्रभारी पदाधिकारी, म0भो0यो0)

3. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा विद्यालयों में खाद्यान्न के अभाव के संबंध में जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को मध्याह्न भोजन योजना का खाद्यान्न आवश्यकतानुसार ससमय, प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न एवं सही मात्रा में (दो से तीन दिनों के अन्दर) उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालन : सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी प्रखंड साधनसेवी)

4. बैठक के क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि जिलों के 6 प्रखंडों में अवस्थित कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत खाद्यान्न एवं राशि उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इस संबंध में प्रभारी पदाधिकारी मध्याह्न भोजन को निदेशित किया गया कि निदेशालय के निदेशानुसार नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करें।

   (अनुपालन : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, म0भो0यो0,मधेपुरा)

5. जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रखंड साधन सेवियों को संबोधित करते हुए निदेश दिया गया कि संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पूर्ण समन्वय स्थापित करें। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रखंड साधन सेवियों की अनुपस्थिति विवरणी माह की उपस्थिति के आधार पर 25 वीं तारिख तक जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय अन्यथा अनुपस्थिति विवरणी के आभाव में संबंधित प्रखंड साधन सेवी को गत पूरे माह में उपस्थित मानते हुए भुगतान कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की होगी।

   (अनुपालन : सभी प्रखंड साधन सेवी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा)

6. संवदकों के द्वारा उपयोग में लाये जोन वाले पंजीकृत वाहन यथा ट्रक/ट्रैक्टर पर जिला मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा सहित संबंधित प्रखंड का नाम सूचना पट्ट/बैनर पर अंकित रहना अनिवार्य है। किसी भी वाहन का रूट **(Route)** निर्धारित रहना आवश्यक है एवं किसी भी परिस्थिति में इसका मार्ग–विचलन **(Route**

Diversion) नहीं किया जायेगा अन्यथा ऐसी संदेहात्मक परिस्थिति में पकड़े गये वाहनों के मामलों में संबंधित संवेदक /प्रखंड साधन सेवी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरूद्व आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन : सभी प्रखंड साधन सेवी/सभी संवेदक/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी थाना अध्यक्ष)

7. जिला पदाधिकारी, द्वारा सभी प्रखंड साधन सेवी को निदेश दिया गया कि निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक माह में कम से कम 30 प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना आवश्यक है। साथ ही विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन स्पष्ट रुप से अपना मन्तव्य अवश्य उल्लेखित करते हुए जिला मध्याह्न भोजन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन : सभी प्रखंड साधन सेवी)

8. बैठक में स्पष्ट निदेश दिया गया कि विद्यालयों में खाद्यान्न एवं राशि के आभाव की पूर्व सूचना नियंत्री पदाधिकारी, को दी जाय ताकि मध्याह्न भोजन योजना बाधित एवं प्रभावित नहीं हो।

(अनुपालन : सभी प्रखंड साधनसेवी/सभी प्र0 अ0)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

14/12/13

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1406 / मधेपुरा, दिनांक 17/12/2013
प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड साधन सेवी/सभी संवेदक/सभी जिला साधनसेवी मध्याह्न भोजन योजना,मधेपुरा/ सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा/ सभी थाना अध्यक्ष, मधेपुरा जिला/प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न मध्याह्न भोजन योजना,मधेपुरा/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (शिक्षा विभाग) मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/12/13

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1406 / मधेपुरा, दिनांक 17/12/2013
प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/12/13

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1406 / मधेपुरा, दिनांक 17/12/2013
प्रतिलिपि :– पुलीस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1406 / मधेपुरा, दिनांक 17/12/2013
प्रतिलिपि :– निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

14/12/13

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।